[श्री शिव चन्द्र झा]

इस बिल को 1967 में यहां पेश किया वया था और उस के बाद दो साल तक उस को यहां पास करने का प्रयत्न नहीं किया गया। अब कौन सी घटना हो गई है, जिस के कारण मंत्री महोदय इस विधेयक को बिदड़ा कर रहे हैं। इस से यह साबित होता है कि सरकार अपने कानूनों को सोच-समझ कर नहीं बनाती है, बल्कि जल्दबाजी में बनाती है और इसी लिए उस को बार बार संशोधन करने पड़ते हैं, बिलों को वापिस लेना पड़ता है और एपालोजाइज करना पड़ता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन):
मंती महोदय इस बात का खुलासा करें
कि जब वह लगातार दो साल तक इस
विधेयक पर विचार करते रहे, तो अब इस
को वापिस लेने का कारण क्या है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: A statement giving the reasons why the Bill is being withdrawn has been circulated to hon. Members already. Now the question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Khadi and Other Handloom Industries Development (Additional Excise Duty on Cloth) Act, 1953, which was introduced on the 14th November, 1967."

The motion was adopted.

SHRI RAM SEWAK: I withdraw the Bill.

15.07 Hrs.

CUSTOMS TARIFF BILL*

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI B. R. BHAGAT): I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to customs duties.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to customs duties." श्री शिव चन्द्र झा (मधुवनी): उपाध्यक्ष महोदय, विदेश व्यापार मंत्री ने यह जो कस्टम्ज टैरिफ़ विल पेश किया है, मैं उस के इन्ट्रोडक्शन का विरोध करता हं।

पहली बात तो यह है कि यह विधेयक एक तरह से गैर-कानुनी है। इस के स्टेटमेंट ऑफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्ज में कहा गया है कि इंडियन टैरिफ़ एक्ट, 1934 की अनमूचियों में संशोधन करने के लिए यह एक काम्प्रिहेंसिवल बिल लाया गया है। दो दिन पहले हम ने इंडियन टैरिफ़ (एमेंडमेंट) बिल पास कर के इंडियन टैरिफ़ एक्ट में संशोधन कर दिया है, लेकिन इस विधेयक के पेज 58, चैप्टर 50 पर वही रेट दिये गये हैं, जो कि इंडियन टैरिफ़ एक्ट में दिये गये थे, हालांकि इंडियन टैरिफ़ (एमेंडमेंट) बिल के द्वारा उन रेट्स में परिवर्तन कर दिया गया है। उदाहरण के लिए वर्तमान बिल, कस्टम्ब टैरिफ़ बिल, में रासिल्क के लिए 60 पर सेंट रखा गया है, जो कि इंडियन टैरिफ़ एक्ट, 1934 में दिया गया है, जब कि इंडियन टैरिफ़ (एमेंडमेंट) बिल में 30 परसेंट दिया गया है। इसी प्रकार कस्टम्ज टैरिफ़ बिल में सिल्क वेस्ट के लिए 60 पर सेंट रखा गया है, जो कि इंडियन टैरिफ़ एक्ट, 1934 में दिया गया है, हालांकि इंडियन टैरिफ़ (एमेंडमेंट) बिल में 50 पर सेंट दिया गया है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि दो दिन पहले सदन ने एक विधेयक पास कर के सिल्क के सम्बन्ध में रेट्स में परि-वतन कर दिया है, लेकिन वर्तमान विधेयक में पुराने रेट्स को ही रखा गया है। हम लोगों ने इंडियन टैरिफ एक्ट, 1934 में जो संशोधन किया है, यह विधेयक उस को मद्देनजर रखते हुए पेश नहीं किया गया है, बल्कि पुराने एक्ट के मुताबिक ही पेश किया गया है, वहन को दो दन पहले जो

^{*}Published in Gazette of India Extraordinary, Part II. Section 2, dated 24-12-69.

विधेयक पास किया है, यह विधेयक उस के खिलाफ है।

इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्टस एंड रीजन्ज में कहा गया है कि इस विधेयक में युनाइटिड किंगडम-इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट, 1939 के अन्तर्गत निश्चित की गई प्रेफ़रें-सिज को कायम रखा जा रहा है। 1939 में हमारा देश आजाद नहीं हआ था और उस समय ब्रिटेन और भारत के बीच में जो समझौते हए, वे ब्रिटेन के फ़ायदे को दृष्टि में रख कर किये गये थे। इस विधेयक के द्वारा इसी प्रकार के एक समझीते की बातों को कायम रखा जा रहा है। हाल ही में ब्रिटेन ने भारत से कपड़े के ड्यूटी-फी इम्पोर्ट को खत्म करने की बात कही है और साथ ही वह 15 पर सेंट और इयुटी लगा रहा है। ब्रिटेन इस देश की एक्सपोर्ट मार्केट को खत्म कर रहा है, लेकिन सरकार इस विघेयक में उन्हीं शर्तों और व्यवस्थाओं को कायम रखना चाहती है, जिस से ब्रिटेन को फ़ायदा होगा, हिन्दुस्तान को नहीं।

यह विधेयक कानून के खिलाफ़ है, संविधान की स्पिरिट के खिलाफ़ है और इस के साथ ही हमारे एक्सपोर्ट करने के प्रयत्नों के खिलाफ़ है। इस लिए मैं इस के इन्टोडक्शन का विरोध करता हं।

श्री व॰ रा॰ भगतः उपाध्यक्ष जी, मेरी समझ में नहीं आता कि एक कानून टैरिफ़ बिल जो यहां से पास हुआ लोक सभा से उस के ऐक्ट होने में दो और स्टेजेज अभी बाकी हैं। राज्य सभा से पास होना है और इस के बाद राष्ट्रपति जी की उस पर मोहर लगनी है। तब वह ऐक्ट बनेगा। अब वह चाहते हैं कि चूंकि यहां सभा ने पास कर दिया तो हम सब उस में चेंज कर दें तो वह तो ऐक्ट बने बिना कैसे कर सकते हैं।

भी शिव चन्द्र झा: प्वाइंट ऑफ आडर, इन्होंने कहा कि यहां से पास हुआ है, राज्य सभा से पास नहीं हुआ है और अभी राष्ट्रपित की स्वीकृति होगी तब कानून बनेमा।
इस में आप देखें पुराने कानून में क्या
लिखा है...(क्यवधान) यह सदन को
गुमराह कर रहे हैं। इस में अगर यह पुराने
ऐक्ट को रखें तो उस में फैबिक्स पर 100
पर सेंट है उस के मुताबिक भी नहीं है।
तो यह न पुराने ऐक्ट पर आधारित हैन
नये ऐक्ट पर आधारित है। इस तरह यह
बिलकुल सदन को गुमराह कर रहे हैं।...

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to customs duties."

The motion was adopted.

SHRI B. R. BHAGAT: Sir, I introduce† the Bill.

15.12 HRS.

ASSAM REORGANISATION (MEGHA-LAYA) BILL—Contd.

Clause 2-Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we shall take up the Assam Reorganisation (Meghalaya) Bill, clause-by-clause consideration. One hour has been allotted for this, but, if we can finish it before that, we shall try to do so. We were on clause 2 to which amendments were moved by Shri Tyagi. Would he like to speak on them?

भी श्रोम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मेरा सुझाव यह है कि जितने मेरे अमेंड-मेंट्स हैं उन सब पर मैं बोल लूं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Sir, to save time I suggest that those who have tabled amendments may speak on all their amendments in five minutes and the Minister may reply to all of them. That way we shall finish it earlier.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If the House agrees, those who have given notices of amendments can speak on all the amend-